राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(50)नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांकः 31.07.2012

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90–क की उप–धारा (4) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 16 के उप–नियम (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नगरीय क्षेत्रों (जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की लालकोठी योजना, जवाहर लाल नेहरू मार्ग के दोनों ओर की 200 फिट चौडी पट्टी के भीतर एवं पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र को छोडकर) में **दिनांक 17.06.1999 से पूर्व** के कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए नियमन के मामलों में प्रीमियम की दरें आवेदित भूमि के लिए निम्नांकित तालिका के अनुसार निर्धारित करती है :–

तालिका

(रू0 प्रति वर्गगज)

क्र.सं.	भूमि उपयोग का प्रयोजन (कृषि से)	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जयपुर रीजन के लिए	जयपुर को छोडकर अन्य संभागीय मुख्यालय वाले शहरों के लिए	संभागीय मुख्यालयों को छोडकर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए	एक लाख से कम जनसंख्या वाले समस्त नगरीय कस्बें
1	2	3	4	5	6
1	आवासीय (200 वर्गगज तक)	60	60	50	40
2	आवासीय (200 वर्गगज से अधिक)	90	90	75	60
3	वाणिज्यिक (200 वर्गगज तक)	400	360	240	160
4	व्राणिज्यिक (200 वर्गगज से अधिक)	400	360	300	240
5	संस्थानिक	60	60	60	40
6	औद्योगिक	60	60	60	40

परन्तु :–

(1) वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निर्मित भूखण्डों के नियमन के लिए प्रीमियम दरें निम्नांकित होंगी :–

वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमित किये जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ देय दर
(अ) 1–110 वर्ग फुट	आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दर + 5000.00 रुपये
(ब) 111–300 वर्ग फुट	आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दर + 10000.00 रुपये
(स) 301–500 वर्ग फुट	आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दर + 20000.00 रुपये
(द) 501 वर्ग फुट या उससे अधिक	आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दर + प्रति 50 वर्गफुट या उसके अंश पर 2500.00 रुपये

(2) उपरोक्त दरों के आधार पर वसूली योग्य कुल राशि में से पूर्व में जमा करायी गई राशि समायोजित कर ली जावेगी। परन्तु अधिक जमा राशि (यदि कोई हो तो) वापिस नहीं लौटाई जावेगी। पूर्व में जिन प्रकरणों में रूपान्तरण प्रक्रिया पूर्ण होकर पट्टा विलेख या आवंटन जारी हो गया है, ऐसे प्रकरणों को प्रीमियम दरों के लिए पुनः नहीं खोला जावेगा।

(3) प्रीमियम की उपरोक्त दरें दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये उस वर्ष के लिए प्रचलित दरें मानी जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(50)नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांकः 31.07.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त.शासन, नगरीय विकास एव आवासन विभाग, राजस्थान।
5. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर /जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. शासन उप सचिव– प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना की प्रति समस्त नगरनिगमों/ नगरपरिषदों/नगरपालिका मण्डलों को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन अविलम्ब राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में करावे तथा इसकी 200 प्रतियां इस विभाग को प्रेषित करावे।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को उपरोक्तानुसार राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
13. सचिव, जयपुर /जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
14. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव–द्वितीय